कार्यालय–भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास (म.प्र)

:: संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष, 2025 ::

(अन्तर्गत धारा 12 एवं 13 भा.ना.सु.सं.)

क्रमांक 127 / सीजेएम / 2025 देवास, दिनांक 05.05.2025

देवास सिविल जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण होने एवं नवीन मजिस्ट्रेट की पदस्थापना होने से देवास जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य दांडिक कार्य का विभाजन किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 एवं 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के पालन में इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेश को अधिष्ठित (**Supersede**) कर, संशोधन करते हुए जिला देवास में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को निम्नानुसार अधिकार क्षेत्र आवंटित करते हुए जिला देवास से उत्पन्न होने वाले प्रकरणों में विधिवत् संज्ञान लेने एवं समस्त अनुषांगिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करता हूँ :–

यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 05.05.2025 से प्रभावशील होगा।

अनुकमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्य क्षेत्र	आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिनका वितरण होगा
1	**2**	**3**	**4**
1	**भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास**	3(अ) आरक्षी केंद्र– 1– कोतवाली 2– औद्योगिक क्षेत्र 3– यातायात 4– जी.आर.पी.	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न / उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों एवं आपराधिक परिवाद पत्र धारा 200 द.प्र.सं. / 223 बी.एन.एस.एस. तथा ग्राम न्यायालय एव विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों तथा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्रों को छोड़कर) एवं खात्मा प्रतिवेदन। 2. नगर पालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्रकरण एवं अपीलें। 3. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 4. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) संपूर्ण जिला–देवास	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में अंकित संपूर्ण जिला देवास के क्षेत्राधिकारांतर्गत – क. चलित न्यायालय। ख. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। ग. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद / आपराधिक प्रकरण।

			घ. ऐसे समस्त अधिनियम / कार्यवाहियां, जिसमें विचारण का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हो। ङ. धारा 306 द.प्र.सं. / 343 बी.एन.एस.एस. के अधीन अभियुक्तों के वायदामाफी के प्रकरण तथा दो वर्ष या इससे अधिक दोषसिद्धि वाले अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। च. अल्प मात्रा के एन.डी.पी.एस.एक्ट से संबंधित प्रकरण। छ. संपूर्ण देवास जिला क्षेत्राधिकारितांर्तगत के खारजी प्रतिवेदन। ज. वे समस्त प्रकरण / कार्यवाहियां, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन / वितरण आदेश में नहीं है अथवा इस आदेश द्वारा किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिन प्रकरण / कार्यवाहियों के विचारण / सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं किया गया हो।
		3(स) देवास तहसील क्षेत्राधिकांतर्गत	1. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– क. श्रम निरीक्षकों / विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण ख. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ग. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। घ. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। ङ. नगर निगम देवास द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। च म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। छ. ड्रग्स निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम से संबंधित प्रकरण। ज दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 से संबंधित प्रकरण
		3(द) आरक्षी केंद्र– 1– आबकारी वृत्त देवास (अ, ब, स)	1. स्तंभ कमांक 3(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्र से उद्‌भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
2	**श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास**	3(अ) आरक्षी केंद्र– 1– बी.एन.पी.	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न / उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्‌भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की

			धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) सिविल लाईन (3) औद्योगिक क्षेत्र, (4) नाहर दरवाजा (5) बी.एन.पी., (6) विजयागंज मंडी, (7) बरोठा (देवास तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– क. वन विभाग/वन्य विधि (Forest Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण। क. खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(स) आरक्षी केंद्र– बी.एन.पी. कोतवाली औद्योगिक क्षेत्र	1. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित थाना क्षेत्रों में – क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरुष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
2-A	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवास	ग्राम न्यायालय में सुनवाई योग्य प्रकरण)	क. म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.10.09 पत्र कं. 17(ई) 43/2009/21–बी (एक) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत सिविल जिला देवास के राजस्व तहसील **देवास** की क्षेत्रीय अधिकार के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, देवास तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्र अन्तर्गत आने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र ग्राम न्यायालय अधिनियम संबंधी। ख. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां।
3	**श्रीमती दीक्षा मौर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास**	3(अ) आरक्षी केंद्र– 1– कोतवाली 2– औद्योगिक क्षेत्र	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध/प्रकरण/कार्यवाही/परिवाद। ख. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को

			छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीडित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध हो।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– कोतवाली, औद्योगिक क्षेत्र	1. स्तम्भ कमांक 3 (ब) में अंकित थाना क्षेत्रों में – क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच। ख. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)।
		3(स) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) सिविल लाईन (3) औद्योगिक क्षेत्र, (4) नाहर दरवाजा (5) बी.एन.पी., (6) विजयागंज मंडी, (7) बरोठा (देवास तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 10,00,001 से अधिक) की राशि के परिवाद।
4	**श्री युवराज सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास**	3(अ) आरक्षी केंद्र नाहर दरवाजा	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों तथा महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उदभूत समस्त कार्यवाहियॉं। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) सिविल लाईन (3) औद्योगिक क्षेत्र, (4) नाहर दरवाजा (5) बी.एन.पी., (6) विजयागंज मंडी, (7) बरोठा (देवास तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 5,00,001 से 10,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र– नाहर दरवाजा,	1. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
		3(द) आरक्षी केंद्र 1–कोतवाली से संबंधित	1. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्रों में – क. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियाँ। ख. आपराधिक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 द.प्र.स. /223 बी.एन.एस.एस.।
5	**श्रीमती निकिता वार्ष्णेय पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास**	3(अ) आरक्षी केंद्र बरोठा	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों तथा महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियाँ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) सिविल लाईन (3) औद्योगिक क्षेत्र, (4) नाहर दरवाजा (5) बी.एन.पी., (6) विजयागंज मंडी,	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 4,00,001 से 5,00,000 तक) की राशि के परिवाद।

		(7) बरोठा (देवास तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	
		3(स) आरक्षी केंद्र– बरोठा	1. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित आरक्षी केंद्रों में– न्यायिक अभिरक्षा / पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष एवं महिला बंदी / व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 / 196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
6	**श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास**	3(अ) आरक्षी केंद्र– विजयागंज मण्डी	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न / उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उदभूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789 / 2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) सिविल लाईन (3) औद्योगिक क्षेत्र, (4) नाहर दरवाजा (5) बी.एन.पी., (6) विजयागंज मंडी, (7) बरोठा (देवास तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 3,00,001 से 4,00,000 तक) की राशि के परिवाद। 2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ जबलपुर के मेमो No. Reg (IT)(SA)/2022/1450 Jabalpur, Dated 17-11-2022 And Ref. N0. Registry memo no. Reg.(IT) (SA)/2022/753, Dated: 16-06-2022 and memo no. Reg.(IT)(SA)/2022/1238, Dated: 29-09-2022 के आलोक में वर्चुअल कोर्ट्स से संबंधित समस्त कार्यवाहियां।
		3(स) आरक्षी केंद्र– विजयागंज मण्डी	1. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित आरक्षी केंद्रों में– 1. न्यायिक अभिरक्षा / पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी / व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 / 196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
		3(द) आरक्षी केंद्र 1–औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित	1. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्रों में – क. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उदभूत समस्त कार्यवाहियॉ।

7	**श्रीमती किरण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास**	3(अ) आरक्षी केंद्र– 1– महिला थाना 2– सिविल लाईन	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध / प्रकरण / कार्यवाही / परिवाद। ख. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ङ. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध हो।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) सिविल लाईन (3) औद्योगिक क्षेत्र, (4) नाहर दरवाजा (5) बी.एन.पी., (6) विजयागंज मंडी, (7) बरोठा (देवास तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 2,00,001 से 3,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र– महिला थाना एवं सिविल लाईन	1. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित आरक्षी केंद्रों में– न्यायिक अभिरक्षा / पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला बंदी / व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 / 196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जाच।
8	**श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास**	3(अ) आरक्षी केंद्र– 1–बी.एन.पी. 2–बरोठा	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध / प्रकरण / कार्यवाही। ख. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं

			अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध हो।
		3(स) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) सिविल लाईन (3) औद्योगिक क्षेत्र, (4) नाहर दरवाजा (5) बी.एन.पी., (6) विजयागंज मंडी, (7) बरोठा (देवास तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1,00,001 से 2,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र– बी.एन.पी.	1. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित आरक्षी केंद्रों में– न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
9	**श्री सौरभ जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास**	3(अ) आरक्षी केंद्र 1– सिविल लाईन	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉं। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

		3(स) आरक्षी केंद्र– (1) कोतवाली, (2) सिविल लाईन (3) औद्योगिक क्षेत्र, (4) नाहर दरवाजा (5) बी.एन.पी., (6) विजयागंज मंडी, (7) बरोठा (देवास तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र– (1) औद्योगिक क्षेत्र	1. स्तंभ कमांक 3(स) में अंकित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत– क. आपराधिक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 द.प्र.स. /223 बी.एन.एस.एस.।
		3(द) आरक्षी केंद्र– सिविल लाईन	1. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित आरक्षी केंद्रों में– न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
10	**चंद्रा पंवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास**	3(अ) आरक्षी केंद्र– (1) विजयागंज मण्डी (2) नाहर दरवाजा	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध/प्रकरण/ कार्यवाही। ख. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध हो।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) विजयागंज मण्डी (2) नाहर दरवाजा	1. स्तम्भ कमांक 3 (ब) में अंकित आरक्षी केंद्रों में– न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
			सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने

			वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
	टोंकखुर्द		
11	**श्रीमती आयुषी गुप्ता उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द, देवास**	3(अ) आरक्षी केंद्र– (1) टोंकखुर्द	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न / उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद। (कंडिका 10 (3) में उल्लेखित किये गये थाना क्षेत्र से उदभुत ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्‌भूत समस्त कार्यवाहियाँ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789 / 2022 में पारित आदेश के अधीन)।
			1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध / प्रकरण / कार्यवाही। ख. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध हो।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– टोंकखुर्द	1. स्तम्भ कमांक 3 (ब) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा / पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष एवं महिला बंदी / व्यक्ति की मृत्यु होने पर द. प्र.सं. की धारा 176 / 196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
		3(स) आबकारी वृत टोंकखुर्द	1. स्तंभ कं.–3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(द) तहसील न्यायालय टोंकखुर्द के क्षेत्रान्तर्गत	क. श्रम निरीक्षक / विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ख. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ग. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के

			अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। घ. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। च. खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ई) आरक्षी केंद्र– टोंकखुर्द मक्सी, पीपलरांवा, भौंरासा (तह. न्यायालय टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ई) में उल्लेखित क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 3,00,001 से अधिक) के परिवाद। 2. वन विभाग / वन्य विधि (Forest Laws) से संबंधित प्रकरण।
			1. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
12	**श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द देवास**	3(अ) आरक्षी केंद्र– मक्सी, पीपलरांवा, भौंरासा (तह. न्यायालय टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न / उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद। (कंडिका 11(3) में उल्लेखित किये गये थाना क्षेत्र से उदभुत ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉं। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789 / 2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
			1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध / प्रकरण / कार्यवाही। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के

			विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		3(ब) आरक्षी केंद्र–मक्सी, पीपलरांवा, भौंरासा (तह. न्यायालय टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तम्भ कमांक 3 (ब) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष एवं महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
		3(स) आरक्षी केंद्र–टोंकखुर्द मक्सी, पीपलरांवा, भौंरासा (तह. न्यायालय टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 3,00,000 तक) के परिवाद।
	सोनकच्छ		
13	**श्री दशरथ सिंह भिड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ**	3(अ) आरक्षी केंद्र–सोनकच्छ	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबंद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉं। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)।
		3(ब) आरक्षी केंद्र–सोनकच्छ पीपलरांवा, भौंरासा (तहसील न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्रान्तर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 5,00,001 से अधिक) के परिवाद। 2. वन विभाग/वन्य विधि (Forest Laws) से संबधित प्रकरण। 3. श्रम निरीक्षक/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 4. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 5. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 6. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के

			अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 7. खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(स) आरक्षी केंद्र– सोनकच्छ	1. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
14	**श्रीमती परिधि गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ**	3 (अ) आरक्षी केन्द्र– 1. सोनकच्छ	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध/प्रकरण/ कार्यवाही। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– सोनकच्छ पीपलरांवा, भौंरासा (तहसील न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्रान्तर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 3,00,001 से 5,00,000 तक) के परिवाद।
			सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
15	**सुश्री निकिता पंवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ**	3(अ) आरक्षी केंद्र– पीपलरांवा, भौंरासा (तहसील न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्रान्तर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध/प्रकरण/ कार्यवाही। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं

			अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		3(ब)– आबकारी वृत्त– सोनकच्छ	1. स्तंभ क.–3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(स) आरक्षी केंद्र– सोनकच्छ पीपलरांवा, भौंरासा (तहसील न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्रान्तर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1,50,001 से 3,00,000 तक) के परिवाद।
		3(द) आरक्षी केंद्र– 1. सोनकच्छ, पीपलरांवा, भौंरासा (तहसील न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्रान्तर्गत)	1. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत – क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
16	**श्री शुभम गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ**	3(अ) आरक्षी केंद्र– पीपलरांवा, भौंरासा (तहसील न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्रान्तर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबंद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोडकर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियों। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– सोनकच्छ पीपलरांवा, भौंरासा (तहसील न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्रान्तर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1,50,000 तक) की राशि के परिवाद।

		3(स) आरक्षी केंद्र–पीपलरावां, भौंरासा (तहसील न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्रान्तर्गत)	1. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत – क. न्यायिक अभिरक्षा / पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी / व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
बागली			
17	**श्रीमती बबीता प्रजापत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली**	3(अ) आरक्षी केंद्र–बागली, कमलापुर	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न / उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्‌भूत समस्त कार्यवाहियों। घ. जन्म एवं मृत्यु का पजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789 / 2022 में पारित आदेश के अधीन)।
			1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध / प्रकरण / कार्यवाही। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		3(ब) आरक्षी केन्द्र–बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर, कमलापुर (तहसील न्यायालय बागली क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 3,00,001 से अधिक) के परिवाद। 2. वन विभाग / वन्य विधि (Forest Laws) से संबंधित प्रकरण। 3. श्रम निरीक्षक / विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।

			4. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 5. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 6. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 7. खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(स) आरक्षी केंद्र– बागली, कमलापुर	1. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा / पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला एवं पुरूष बंदी / व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 / 196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(द) आरक्षी केंद्र– आबकारी वृत्त– बागली	1. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।
18	**सुश्री वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली**	3(अ) आरक्षी केंद्र– हाटपिपल्या	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न / उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद। (कंडिका 16(3) में उल्लेखित किये गये थाना क्षेत्र से उदभुत ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोडकर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उदभूत समस्त कार्यवाहियाँ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789 / 2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(अ) आरक्षी केंद्र– हाटपिपल्या	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध / प्रकरण / कार्यवाही। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट

			रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		3(स) आरक्षी केंद्र– हाटपिपल्या	1. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा / पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला एवं पुरूष बंदी / व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 / 196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
		3 (द) आरक्षी केन्द्र– बागली, हाटपिपल्या,कमलापुर उदयनगर (तहसील न्यायालय बागली क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(द) में उल्लेखित क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1,50,001 से 3,00,000 / – तक) के परिवाद।
19	**सुश्री आयुषी मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली**	3(अ) आरक्षी केंद्र– उदयनगर	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न / उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियाँ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789 / 2022 में पारित आदेश के अधीन)।
			1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध / प्रकरण / कार्यवाही। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण।

			ङ. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		3 (ब) आरक्षी केन्द्र– बागली, हाटपिपल्या, कमलापुर उदयनगर (तहसील न्यायालय बागली क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1,50,000/– तक) की राशि के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र– उदयनगर	1. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत – क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला एवं पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द. प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
		कन्नौद	
20	**कुं. ऊषा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद**	3(अ) आरक्षी केंद्र कन्नौद	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियाँ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– कन्नौद, कांटाफोड़	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध/प्रकरण/कार्यवाही।। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं

			अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। च. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		3(स) आरक्षी केंद्र कन्नौद, कांटाफोड़ व सतवास (कन्नौद तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 3,00,001 से अधिक) की राशि के परिवाद।
		3(द) आरक्षी केंद्र कन्नौद व कांटाफोड़	1. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत – क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
		3(ई) आरक्षी केंद्र कन्नौद, कांटाफोड़ व सतवास (कन्नौद तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ई) में उल्लेखित क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न वन विभाग/वन्य विधि (Forest Laws) से संबंधित प्रकरण। 2. श्रम निरीक्षक/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 3. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 4. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 5. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 6. खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
20A	**न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जनपद पंचायत कन्नौद**		म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.10.09 पत्र कं. 17(ई) 43/2009/21–बी (एक) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत सिविल जिला देवास के राजस्व तहसील **कन्नौद** की क्षेत्रीय अधिकार के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, कन्नौद तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्र अन्तर्गत आने वाले

			आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र ग्राम न्यायालय अधिनियम संबंधी।
21	**श्रीमती सोनाली शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद**	3(अ) आरक्षी केंद्र सतवास	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न / उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789 / 2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– सतवास.	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध / प्रकरण / कार्यवाही।। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। च. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		3(स) आरक्षी केंद्र कन्नौद, कांटाफोड व सतवास (कन्नौद तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1,50,001 से 3,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(द) आरक्षी केंद्र सतवास	1. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत –

			क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध पुरूष बंदी/महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
		3(ई) आरक्षी केंद्र– आबकारी वृत्त– कन्नौद	1. स्तम्भ कमांक 3 (ई) में अंकित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।
22	**श्री कुंदन कछवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद**	3(अ) आरक्षी केंद्र– कांटाफोड	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबंद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)।
		3(ब) आरक्षी केंद्र कन्नौद, कांटाफोड़ व सतवास (कन्नौद तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1,50,000 तक) की राशि के परिवाद।
			1. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		खातेगांव	
23	**श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव जिला देवास**	3(अ) आरक्षी केंद्र– खातेगांव, नेमावर	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन।(महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबंद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियों। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789/2022 में पारित

			आदेश के अधीन)।
		3(ब) आरक्षी केंद्र खातेगांव, नेमावर, हरणगांव (खातेगांव तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 3,00,001 से अधिक) की राशि के परिवाद। 2. वन विभाग / वन्य विधि (Forest Laws) से संबंधित प्रकरण। 3. श्रम निरीक्षक / विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 4. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 5. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 6. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 7. खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(स) आरक्षी केंद्र खातेगांव, नेमावर, (खातेगांव तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	1. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत – क. न्यायिक अभिरक्षा / पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला अथवा पुरूष बंदी / व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 / 196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
		3(द) आरक्षी केंद्र– आबकारी वृत्त– खातेगांव	1. स्तम्भ कमांक 3(द) में अंकित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।
24	**सुश्री तनिष्का वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव**	3(अ) आरक्षी केंद्र– हरणगांव	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न / उदभुत– क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉं। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन कमांक 789 / 2022 में पारित आदेश के अधीन)।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– खातेगांव, नेमावर, हरणगांव	1. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध / प्रकरण / कार्यवाही। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम

			2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। च. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		3(स) आरक्षी केन्द्र– खातेगांव, नेमावर, हरणगांव (तहसील न्यायालय खातेगांव क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 3,00,000 तक) के परिवाद।
		3(द) आरक्षी केंद्र– हरणगांव (तहसील न्यायालय खातेगांव क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध महिला अथवा पुरूष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

<u>अनुसूची "क"</u>

<u>प्रभार</u>

क– निम्नलिखित तालिका के प्रथम स्तंभ में अंकित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति/न्यायालय के रिक होने/अवकाश पर रहने की दशा में निम्नानुसार द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तंभ में अंकित मजिस्ट्रेट व द्वारा आवश्यक दांडिक कार्य संपादित किए जावेंगे :–

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम /पद	अवकाश या कर्तव्य पर अनुपस्थित की दशा मे कार्यभारित पीठासीन अधिकारी का नाम / पद			
		कॉलम–1	**कॉलम–2**	**कॉलम–3**	**कॉलम–4**
1	**भारत सिंह कनेल** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास	श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती दीक्षा मौर्य, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री युवराज सिंह,जे.एम. एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम.एफ.सी. देवास

2	**श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्रीमती दीक्षा मौर्य, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री कुँवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास
3	**सुश्री अंजना यादव, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड**, जिला देवास	श्रीमती निकिता वार्ष्णेय पाण्डे,जे.एम. एफ.सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री कुँवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास
4	**श्रीमती दीक्षा मौर्य,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्री कुँवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास
5	**कुँवर युवराज सिंह**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, जे.एम. एफ.सी. देवास
6	**श्रीमती निकिता वार्ष्णेय पाण्डे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	श्रीमती चंद्रा पंवार, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी. देवास
7	**श्री प्रियांशु पाण्डे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री कुँवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती दीक्षा मौर्य, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री सौरभ जैन, जे.एम. एफ.सी. देवास
8	**श्रीमती किरण सिंह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, जे.एम.एफ.सी.	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्री कुंवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी. देवास
9	**श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्री नीलेन्द्र तिवारी, जे.एम. एफ.सी. देवास
10	**श्री सौरभ जैन,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, देवास	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती दीक्षा मौर्य , जे.एम. एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे जे.एम.एफ.सी. देवास
11	**चंद्रा पंवार,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, देवास	श्रीमती निकिता वार्ष्णेय पाण्डे, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती दीक्षा मौर्य , जे.एम.एफ.सी. देवास
<u>टोकखुर्द :</u>					
12	**श्रीमती आयुषी गुप्ता**	सुश्री आयुषी	श्री शुभम गुप्ता	सुश्री निकिता पवांर	श्री दशरथ सिंह

	उपाध्याय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोकखुर्द	श्रीवास्तव, जे.एम.एस.सी. टोंकखुर्द	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,सोनकच्छ	जे.एम.एफ.सी. देवास	भिड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ देवास
13	**सुश्री आयुषी श्रीवास्तव,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोकखुर्द	श्रीमती आयुषी गुप्ता उपाध्याय जे.एम.एस.सी. टोंकखुर्द	सुश्री निकिता पवांर जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री शुभम गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ	श्रीमती परिधि गुप्ता, जे.एम.एफ. सी. सोनकच्छ देवास

<u>सोनकच्छ :</u>

14	**श्री दशरथ सिंह भिड़े** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	श्री शुभम गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	श्रीमती परिधि गुप्ता जे.एम.एफ.सी. देवास	सुश्री निकिता पंवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती आयुषी गुप्ता उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी. देवास
15	**श्रीमती परिधि गुप्ता,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	सुश्री निकिता पंवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री शुभम गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	श्री दशरथ सिंह भिड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. देवास
16	**सुश्री निकिता पंवार** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	श्रीमती परिधि गुप्ता जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री दशरथ सिंह भिड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	श्री शुभम गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	श्रीमती आयुषी गुप्ता उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी. देवास
17	**श्री शुभम गुप्ता** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	श्री दशरथ सिंह भिड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	सुश्री निकिता पंवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती परिधि गुप्ता जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. देवास

<u>बागली :</u>

18	**श्रीमती बबीता प्रजापत** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	सुश्री वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	सुश्री आयुषी मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्री दशरथ सिंह भिड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	श्री शुभम गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ

19	**सुश्री वीणा अग्निहोत्री** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	सुश्री आयुषी मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली	श्रीमती बबीता प्रजापत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली	श्री शुभम गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ	श्री दशरथ सिंह भिड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ
20	**सुश्री आयुषी मालवीय** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्रीमती बबीता प्रजापत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	सुश्री वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्रीमती परिधि गुप्ता जे.एम.एफ.सी. देवास	सुश्री निकिता पंवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
<u>कन्नौद</u> :					
21	**कु. ऊषा उईके** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद,	श्रीमती सोनाली शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्री कुंदन कछवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	सुश्री तनिष्का वैष्णव न्या. मजि. प्रथम श्रेणी खातेगांव	श्रीमती राधा उईके न्या. मजि. प्रथम श्रेणी खातेगांव
22	**श्रीमती सोनाली शर्मा** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्री कुंदन कछवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	कु. ऊषा उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद,	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव	सुश्री तनिष्का वैष्णव न्या. मजि. प्रथम श्रेणी खातेगांव
23	**श्री कुंदन कछवाह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कन्नौद	कु. ऊषा उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद,	श्रीमती सोनाली शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	सुश्री तनिष्का वैष्णव न्या. मजि. प्रथम श्रेणी खातेगांव	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव
<u>खातेगॉव :</u>					
24	**श्रीमती राधा उईके,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगॉव	सुश्री तनिष्का वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव	कु. ऊषा उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद,	श्रीमती सोनाली शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्री कुंदन कछवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद
25	**सुश्री तनिष्का वैष्णव** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगॉव	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव	श्रीमती सोनाली शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्री कुंदन कछवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	कु. ऊषा उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद,

ख– किशोर न्याय बोर्ड देवास में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के अवकाश/मुख्यालय से बाहर/पद रिक्त अथवा स्थानांतरण होने की दशा में **निम्नलिखित कमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तंभ के मजिस्ट्रेट द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के न्यायालय के आवश्यक कार्य संपादित किए जावेंगे।**

::: अनुसूची ''ब'' :::

::: धारा 164 दंड प्रकिया संहिता/ धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियाँ :::

क.	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3
1	आरक्षी केन्द्र कोतवाली (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती किरण सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास म0प्र0
2	आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र (महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती निकिता वार्ष्णेय पाण्डे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास म0प्र0
3	आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन (महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास म0प्र0
4	आरक्षी केन्द्र बी.एन.पी. (महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण)	चंद्रा पंवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास म0प्र0
5	आरक्षी केन्द्र महिला थाना (महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती दीक्षा मौर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास म0प्र0
6	आरक्षी केन्द्र बरोठा (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती किरण सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास म0प्र0
7	आरक्षी केन्द्र अजाक (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती निकिता वार्ष्णेय पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास म0प्र0
8	आरक्षी केन्द्र विजयागंज मण्डी (महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती दीक्षा मौर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास म0प्र0
9	आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास म0प्र0

	प्रकरण)	
10	आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ, (महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण)	सुश्री निकिता पंवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ
11	आरक्षी केन्द्र पीपलरांवा, भौंरासा(सोनकच्छ तहसील क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण)	श्रीमती परिधि गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ
12	आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ, (महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण को छोड़कर शेष प्रकरण)	श्री शुभम गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ
13	आरक्षी केन्द्र पीपलरांवा, भौंरासा(सोनकच्छ तहसील क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण को छोड़कर)	श्री दशरथ सिंह भिड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ
14	आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द
15	आरक्षी केन्द्र पीपलरांवा, भौंरासा, मक्सी (टोंकखुर्द तहसील क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती आयुषी गुप्ता उपाध्याय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द
16	आरक्षी केन्द्र बागली, कमलापुर (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	सुश्री वीणा अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली
17	आरक्षी केन्द्र, उदयनगर (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती बबीता प्रजापत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली
18	आरक्षी केन्द्र, हाटपिपल्या (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	सुश्री आयुषी मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली
19	आरक्षी केन्द्र कन्नौद, कांटाफोड़ (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती सोनाली शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद

20	आरक्षी केन्द्र सतवास(महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	कु. उषा उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद
21	आरक्षी केन्द्र खातेगांव, नेमावर (महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण)	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगांव
22	आरक्षी केन्द्र हरणगांव (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगांव
23	आरक्षी केन्द्र खातेगांव, नेमावर(महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण)	सुश्री तनिष्का वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव

<u>नोट</u> – उपर्युक्तानुसार अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता/धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कथन लिये जाने हेतु अनुसूची 'अ' अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जावेगी एवं अनुसूची 'अ' के प्रभारी मजिस्ट्रेट पर संबंधित थाना होने की दशा में अन्य कमवर्ती मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता/धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कथन लिये जायेंगे।

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवास (म.प्र.)

<u>–: नोट :–</u>

1. इस कार्य विभाजन/ वितरण आदेश की उपर्युक्त व्यवस्था के बावजूद जिला देवास क्षेत्राधिकारांतर्गत स्थित किसी भी आरक्षी केंद्र या वृत्त के किसी प्रकरण को प्रशासनिक कार्य व्यवस्था हेतु उचित एवं आवश्यक प्रतीत होने से सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सुनवाई/निराकरण हेतु संबंधित न्यायालय से आहरित कर अन्य न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है, कार्य विभाजन/वितरण आदेश में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रतिवेदन/कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा और उक्त व्यवस्था से अन्यथा कोई भी प्रतिवेदन/कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विर्निदिष्ट आदेश के बिना किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जावेगा।
2. पूर्व से मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों पर इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु उक्त न्यायालयों में लंबित रिमांड पत्रावलियां इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश के माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पर प्रभावशील होने के उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को अविलंब प्रेषित की जावेंगीं।

3. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में अन्य कोई आदेश प्रसारित न किये जाने तक संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर निराकृत किये जाने योग्य मामले/प्रकरण अनुसूची कमांक–''अ'' अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर विधि अनुसार निराकृत किये जा सकेंगे।

4. धारा 164 द.प्र.सं./धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन कथनों एवं संस्वीकृतियों को लेखबद्ध करने के लिये अनुसूची–''ब'' के अनुसार व्यवस्था रहेगी।

5. संक्षिप्त विचारण का अभिलेख तैयार करने के लिये द.प्र.सं. की धारा 265(2)/धारा 290 (2) बी.एन.एस.एस. के उपबंधानुसार जिले में पदस्थ प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के निष्पादन लिपिक को नियुक्त किया जाता है।

6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त संक्षिप्त विचारण की शक्तियां प्राप्त समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, भी चलित न्यायालय लगाने जाने बावत् पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर अपने–अपने थाना क्षेत्र में समय–समय पर चलित न्यायालय लगा सकेंगे। किंतु न्यायालयीन समय में चलित न्यायालय लगाये जाने हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी।

7. यह कार्य विभाजन आदेश विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों के संबंध में ही प्रभावी रहेगा तथा यह कार्य विभाजन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना सहित किसी अधिनियम नियम अथवा अधिसूचना के विपरीत न होकर उसके अधीन ही प्रभावशील रहेगा।

8. तहसील देवास के क्षेत्राधिकारिता अंतर्गत दण्ड प्रकिया संहिता के अध्याय 09 की धारा 125 से 128/ बी.एन.एस. की धारा 144 एवं 146 से संबंधित समस्त भरण पोषण के प्रकरणों (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) के संबंध में माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय देवास को अधिकारिता होने से, उक्त प्रकरणों का विचारण/सुनवाई किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जाएगा।

9. मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 16 (1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माना जावेंगे और ग्राम न्यायालय से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवास/कन्नौद द्वारा ही ग्रहण कर सुनवाई में लिये जावेंगें।

10. किशोर न्याय अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले सम्पूर्ण देवास न्यायिक जिले के आपराधिक प्रकरणों को किशोर न्याय बोर्ड, देवास में प्रस्तुत किये जावेगा।

11. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, देवास के अवकाश पर रहने एवं स्थानांतरण की दशा में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यगण द्वारा किशोर न्याय अधिनियम अनुसार कार्य संपादित किया जावेगा। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी अनुपस्थिति की दशा में कम से कम एक सदस्य बोर्ड/मुख्यालय पर उपस्थित रहे। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट सहित बोर्ड के दोनों सदस्यगण की अनुपस्थिति की दशा में सर्वप्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही अत्यावश्यक प्रकृति का कार्य संपादित किया जावेगा।

12. जिला न्यायिक स्थापना, देवास एवं तहसील न्यायिक स्थापना सोनकच्छ, टोंकखुर्द, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव पर पूर्व में कार्यरत रहें एवं वर्तमान में रिक्त किसी भी न्यायालय द्वारा जारी स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित समस्त एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां और देवास जिले के बाहर के जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित कार्यवाहियां इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपनी–अपनी क्षेत्राधिकारिता के आरक्षी केंद्र (आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र एवं कोतवाली को छोडकर) अनुसार संपादित करेंगे।

13. आरक्षी केन्द्र, कोतवाली के स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित समस्त एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां और देवास जिले के बाहर के जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित कार्यवाहियां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्री कुंवर युवराज सिंह** द्वारा एवं आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र के स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित समस्त एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां और देवास जिले के बाहर के जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित कार्यवाहियां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्री प्रियांशु पाण्डे** द्वारा संपादित की जावेगी।

14. आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 52–ए की कार्यवाहियां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्रीमती किरण सिंह,** आरक्षी केन्द्र कोतवाली के अंतर्गत 52–ए की कार्यवाहियां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्रीमती दीक्षा मौर्य** तथा आरक्षी केन्द्र बी.एन.पी. के अंतर्गत 52–ए की कार्यवाहियां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्री सौरभ जैन** द्वारा संपादित की जावेगी एवं शेष समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत अधिनियम की धारा 52–ए कार्यवाही संबंधी आवेदनों का निराकरण सुसंगत नियमों के अधीन करेंगे।

15. महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के प्रकरणों में जारी स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित समस्त एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां और देवास जिले के बाहर के जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफतारी वारंट से संबंधित कार्यवाहियां इस कार्यविभाजन/वितरण आदेशानुसार संबद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा संपादित किया जावेगा।

16. अपीलीय न्यायालय के आदेश/निर्देश एवं निर्णय का निष्पादन किसी नाम निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा किये जाने के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय का विर्निदिष्ट आदेश होने पर उक्त नाम निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा ही तत्संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी।

17. पूर्व में कार्यरत एवं वर्तमान में रिक्त न्यायालय के आदेश/निर्णय के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय अनुसार निष्पादन कार्यवाही देवास जिला न्यायिक स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी**, सोनकच्छ तहसील न्यायिक स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्री शुभम गुप्ता**, टोंकखुर्द तहसील न्यायिक स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव,** बागली तहसील न्यायिक स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्रीमती आयुषी मालवीय,** कन्नौद तहसील न्यायिक स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्रीमती सोनाली शर्मा** तथा खातेगांव तहसील न्यायिक स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **सुश्री तनिष्का वैष्णव** द्वारा संपादित की जावेगी।

18. सार्वजनिक अवकाश दिवसों में नियत रिमांड डयूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड डयूटी परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक

सहमति प्राप्त होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुमोदन उपरांत नियत रिमांड डयूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

19. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा प्रस्थान पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को तथा बाहयवर्ती स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्थापना पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

20. इस आदेश के संबंध में किसी भी भ्रम या अस्पष्टता की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को संदर्भित कर उक्त संबंध में सुझाव या मार्गदर्शन लिया जावे।

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देवास (म.प्र.)

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास की ओर अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित

अनुमोदित,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास

<u>माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत यह कार्य विभाजन/वितरण आदेश वर्ष–2025 संलग्न अनुसूची ''अ'' एवं ''ब'' सहित दिनांक–05.05.2025 से प्रभावशील।</u>

<u>प्रतिलिपियां :– (ईमेल–मेसेज द्वारा)</u>

पृष्ठांकन कमांक।27(ए)2025 **देवास दिनांक 05-05-2025**

01	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला न्यायालय, देवास की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02	माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, (एट्रोसिटीज), देवास की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
03	माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
04	समस्त माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास/सोनकच्छ/कन्नौद/खातेगांव/बागली की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
05	जिला कलेक्टर, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06	पुलिस अधीक्षक, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07	जिला रजिस्टार (सिविल कोर्टस) देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08	समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास/टोंकखुर्द/सोनकच्छ/कन्नौद/खातेगांव/बागली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
09	जिला अभियोजन अधिकारी, देवास की ओर सूचनार्थ एवं संबंधितों को प्रेषित बावत्।
10	समस्त थाना प्रभारी की ओर पालनार्थ प्रेषित।
11	थाना प्रभारी, जी.आर.पी. देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12	उप संचालक खाद्य एवं औषधी प्रशासन देवास की ओर समस्त खाद्य निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
13	नापतोल निरीक्षक, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14	कारखाना निरीक्षक, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15	श्रम अधिकारी, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
16	औषधी निरीक्षक, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
17	जिला वन मण्डलाधिकारी, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
18	जिला आबकारी अधिकारी, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
19	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
20	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
21	जेल अधीक्षक, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
22	फाईलिंग रिसीविंग सेन्टर, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
23	सांख्यिकी लेखक, जिला एवं सत्र न्यायालय देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24	प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
25	अध्यक्ष अभिभाषक संघ, देवास / सोनकच्छ / टोंकखुर्द / कन्नौद / खातेगांव / बागली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
26	सिस्टम आफिसर / डी.एस.ए. / कम्प्यूटर लिपिक देवास / सोनकच्छ / टोंकखुर्द / कन्नौद / खातेगांव / बागली न्यायिक स्थापना की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई–मेल / मेसेज के माध्यम से संबंधितों की ओर प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला देवास म.प्र